रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248519 CG-DL-E-02092023-248519

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2023/भाद्र 11, 1945 NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2023/BHADRA 11, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली. 2 सितम्बर. 2023

फा.सं. एच-11019/03/2023-वि.-2.—वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ-साथ कराए गए थे और इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया और अब, निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबी कालाविध के लिए अपने मूल कर्तव्यों से भिन्न अन्यत्र तैनाती, आदर्श आचार संहिता, आदि के लंबी अविध तक लागू रहने के कारण, विकास कार्य में दीर्घ अविधियों के लिए व्यवधान के रूप में होता है;

और भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170 वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया है कि : "प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए । हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं । यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के विनिश्चय के पश्चात्

5646 GI/2023 (1)

सारवान् रूप से कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधान सभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम । नियम यह होना चाहिए कि 'लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन'।"।;

और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 'लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता' पर दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामलें की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है;

अतः अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है, भारत सरकार साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति [जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एचएलसी' कहा गया है] का गठन करती है।

1. एचएलसी निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

1.	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति	अध्यक्ष
2.	श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
3.	श्री अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल के नेता, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के भूतपूर्व नेता, राज्य सभा	सदस्य
5.	श्री एन. के. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग	सदस्य
6.	डॉ. सुभाष सी. कश्यप, पूर्व महासचिव, लोक सभा	सदस्य
7.	श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता	सदस्य
8.	श्री संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त	सदस्य

- 2. श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार, विशेष आमंत्रिती के रूप में एचएलसी की बैठकों में भाग लेंगे।
- 3. श्री नितेन चंद्र, सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, एचएलसी के सचिव होंगे ।
- 4. एचएलसी के निबंधन और निर्देश निम्नलिखित होंगे—
 - (क) भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों, जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना;
 - (ख) यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश करना:

- (ग) त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना ;
- (घ) निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टतया, यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों;
- (ङ) साथ-साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो;
- (च) इस प्रकार, साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी, आदि सम्मिलित हैं:
- (छ) लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली और निर्वाचक पहचान-पत्रों के उपयोग की जांच करना और उसके तरीकों की सिफारिश करना।
- 5. एचएलसी, तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें करेगी।
- 6. एचएलसी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
- 7. एचएलसी अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए और अन्य सुसंगत कृत्यों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनिश्चय कर सकेगी।
- 8. एचएलसी, सभी व्यक्तियों, प्रतिवेदनों और संसूचनाओं, जो एचएलसी की राय में उसके कार्य को सुकर बनाएंगी तथा उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समर्थ बनाएंगी, उनकी सुनवाई कर सकेगी और उनसे विचार-विमर्श कर सकेगी।
- 9. एचएलसी के अध्यक्ष और सदस्यों को नीचे दिए अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे--
 - (क) एचएलसी का अध्यक्ष ऐसे भत्तों का हकदार होगा, जो राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 में यथा उपबंधित है :
 - (ख) एचएलसी के सदस्य, जो संसद् के सदस्य हैं, ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित है :
 - (ग) एचएलसी के सभी अन्य सदस्य उच्चतम श्रेणी के सरकारी सेवकों को लागू दर और नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे ।
- 10. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, एचएलसी को कार्यालय स्थान, अनुसचिवीय सहायता और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा।
- 11. एचएलसी के व्यय की पूर्ति सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के सुसंगत बजट शीर्ष के अधीन पृथक् बजटीय आबंटन से की जाएगी।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE LEGISLATIVE DEPARTMENT RESOLUTION

New Delhi, the 2nd September, 2023

F. No. H-11019/03/2023-Leg.II.—WHEREAS elections to the House of the People and Legislative Assemblies of States were mostly held simultaneously from 1951-52 to 1967 after which this cycle got broken and now, elections are held almost every year and within a year too at different times, which result in massive expenditure by the Government and other stakeholders, diversion of security forces and other electoral officers engaged in such elections from their primary duties for significantly prolonged periods, disruption in developmental work on account of prolonged application of Model Code of Conduct, etc.;

AND WHEREAS the Law Commission of India in its 170th Report on Reforms of the Electoral Laws observed that: "This cycle of elections every year, and in the out of season, should be put an end to. We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once. It is true that we cannot conceive or provide for all the situations and eventualities that may arise whether on account of the use of Article 356 (which of course has come down substantially after the decision of Supreme Court in S.R. Bommai vs Union of India) or for other reasons, yet the holding of a separate election to a Legislative Assembly should be an exception and not the rule. The rule ought to be 'one election once in five years for Lok Sabha and all the Legislative Assemblies'.";

AND WHEREAS the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its 79th Report on 'Feasibility of Holding Simultaneous Election to the House of People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies' submitted in December, 2015 has also examined the matter and recommended an alternative and practical method of holding simultaneous elections in two phases;

NOW, THEREFORE, in view of the above and that in the national interest it is desirable to have simultaneous elections in the country, the Government of India hereby constitutes a High Level Committee [hereinafter referred to as 'HLC'] to examine the issue of simultaneous elections and make recommendations for holding simultaneous elections in the country.

1	The	HI.	C	sha	ll com	nrise	$\circ f$	the	follo	wing	persons,	namely	•
- 1	1110	111	\sim	ona	II COII	prise	OI	uic	10110	J VV 1115	persons,	mamiciy	•

1.	Shri Ram Nath Kovind, Former President of India	Chairman
2.	Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India	Member
3.	Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Leader of Single Largest Party in Opposition, Lok Sabha	Member
4.	Shri Ghulam Nabi Azad, Former Leader of Opposition, Rajya Sabha	Member
5.	Shri N.K.Singh, Former Chairman, 15 th Finance Commission	Member
6.	Dr. Subhash C. Kashyap, Former Secretary General, Lok Sabha	Member
7.	Shri Harish Salve, Senior Advocate	Member
8.	Shri Sanjay Kothari, Former Chief Vigilance Commissioner	Member.

- 2. Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State (Independent Charge) Ministry of Law and Justice, Government of India shall attend the meetings of the HLC as Special Invitee.
- 3. Shri Niten Chandra, Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs shall be Secretary to the HLC.
- **4.** The terms and reference of the HLC shall be to—
 - (a) examine and make recommendation for holding simultaneous elections to the House of the People (Lok Sabha), State Legislative Assemblies, Municipalities and Panchayats, keeping in view the existing framework under the Constitution of India and other statutory provisions, and for that purpose, examine and recommend specific amendments to the Constitution, the Representation of the People Act, 1950, the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder and any other law or rules which would require amendments for the purpose of holding simultaneous elections;

- (b) examine and recommend, if the amendments to the Constitution would require ratification by the States;
- (c) analyse and recommend possible solution in a scenario of simultaneous elections emerging out of hung House, adoption of no-confidence motion, or defection or any such other event;
- (d) suggest a framework for synchronisation of elections and specifically, suggest the phases and time frame within which simultaneous elections may be held if they cannot be held in one go and also suggest any amendments to the Constitution and other laws in this regard and propose such rules that may be required in such circumstances;
- (e) recommend necessary safeguards for ensuring the continuity of the cycle of simultaneous elections and recommend necessary amendments to the Constitution, so that the cycle of simultaneous elections is not disturbed;
- (f) examine the logistics and manpower required, including EVMs, VVPATs, etc., for holding such simultaneous elections;
- (g) examine and recommend the modalities of use of a single electoral roll and electoral identity cards for identification of voters in elections to the House of the People (Lok Sabha), State Legislative Assemblies, Municipalities and Panchayats.
- 5. The HLC shall commence functioning immediately and make recommendations at the earliest.
- **6.** The headquarters of the HLC shall be at New Delhi.
- 7. The HLC may decide its own procedure for conducting its meetings and other relevant functions.
- **8.** The HLC may hear and entertain all persons, representations and communications which in the opinion of the HLC shall facilitate its work and enable it to finalise its recommendations.
- 9. The Chairman and members of the HLC shall be paid allowances as follows—
 - (a) Chairman of the HLC shall be entitled for such allowances as provided in the President's Emoluments and Pension Act, 1951;
 - (b) Members of the HLC who are Member of Parliament, shall be entitled to such allowances as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959;
 - (c) All other Members of the HLC shall be entitled to Travelling Allowance at the rates and as per rules applicable to the government servants of the highest grade.
- **10.** The Legislative Department, Ministry of Law and Justice shall provide Office space, secretarial assistance and other logistics support to the HLC.
- 11. The expenditure of the HLC shall be met through a separate budgetary allocation by the Government under the relevant budget heads of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department).

Dr. REETA VASISHTA, Secy.